प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ दिनांक 12 अगस्त, 2021*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यवीर पुत्र श्री सरनामी निवासी जनपद-आगरा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16599/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.07.2021) दिनांक-12.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यवीर पुत्र श्री सरनामी, बुर्ज पैंत खेडा, थाना-खन्दौली, जनपद-आगरा का निवासी है। दिनांक 08.05.2003 को लगभग 2:00 बजे लाखन सिंह अपने पिता कारे व काका विरम सिंह के साथ अपने बाड़े में मौजूद था, तभी अचानक सत्यवीर सिहत लगभग एक दर्जन हमलावर आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित होकर उसके बाड़े में घुस आये तथा ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर कारे व विरम सिंह को बाड़े में मार दिया था। लाखन सिंह ने बाड़े में ही बने कमरे में घुसकर अन्दर से किवाड़ बन्द कर लिये थे तो हमलावरों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर लाखन सिंह सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-529/2003 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा के आदेश दिनांक 01.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.01.2008 तथा मा0 उच्चतम नयायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.08.2009 द्वारा यथावत रखा गया एवं जेल रिपोर्ट में अन्य सत्र परीक्षण सं0-1218/2009 में भा0द0वि0 की धारा-147, 307/149, 323/149, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 ए0डी0जे0(कोर्ट सं0-1), आगरा के आदेश दिनांक 06.04.2010 में 01 वर्ष 06 माह कारावास तथा स0प0सं0-153/2004 में धारा-2/3 गैं0 एक्ट अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (गैं0एक्ट), आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2017 में 09 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.06.2021 तक 18 वर्ष 01 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 00 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, विवाद समाप्त न होने, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

08.05.2003 को सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित होकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर कारे व विरम सिंह एवं कमरे का दरवाजा तोड़कर लाखन सिंह की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, विवाद समाप्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सत्यवीर पुत्र सरनामी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- अत: रिट याचिका (क्रि0) सं0-168/2021 जगवीर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2021 के अनुपालन में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यवीर (बन्दी संख्या-10268) पुत्र श्री सरनामी निवासी जनपद-आगरा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-150/2021/1372(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-150/2021/1372/22-2-2021-17(587)/2021

दिनांक 12 अगस्त, 2021 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यवीर पुत्र श्री सरनामी, बुर्ज पैंत खेडा, थाना-खन्दौली, जनपद-आगरा का निवासी है। दिनांक 08.05.2003 को लगभग 2:00 बजे लाखन सिंह अपने पिता कारे व काका विरम सिंह के साथ अपने बाड़े में मौजूद था, तभी अचानक सत्यवीर सिहत लगभग एक दर्जन हमलावर आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित होकर उसके बाड़े में घुस आये तथा ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर कारे व विरम सिंह को बाड़े में मार दिया था। लाखन सिंह ने बाड़े में ही बने कमरे में घुसकर अन्दर से किवाड़ बन्द कर लिये थे तो हमलावरों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर लाखन सिंह सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-529/2003 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा के आदेश दिनांक 01.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.01.2008 तथा मा0 उच्चतम नयायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.08.2009 द्वारा यथावत रखा गया एवं जेल रिपोर्ट में अन्य सत्र परीक्षण सं0-1218/2009 में भा0द0वि0 की धारा-147, 307/149, 323/149, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 ए0डी0जे0(कोर्ट सं0-1), आगरा के आदेश दिनांक 06.04.2010 में 01 वर्ष 06 माह कारावास तथा स0प0सं0-153/2004 में धारा-2/3 गैं0 एक्ट अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (गैं0एक्ट), आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2017 में 09 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.06.2021 तक 18 वर्ष 01 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 00 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, विवाद समाप्त न होने, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 08.05.2003 को सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित होकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर कारे व विरम सिंह एवं कमरे का दरवाजा तोड़कर लाखन सिंह की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, विवाद समाप्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सत्यवीर पुत्र सरनामी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in